

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.1020/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 05 December, 2017 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No.1020/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017
Dehradun :: Dated:: 05 December, 2017

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 128 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to waive the amount of late fee payable by any registered person for failure to furnish the return in **FORM GSTR-3B** for the month of October, 2017 onwards by the due date under section 47 of the said Act, which is in excess of an amount of twenty five rupees for every day during which such failure continues:

Provided that where the total amount of State tax payable in the said return is nil, the amount of late fee payable by such registered person for failure to furnish the said return for the month of October, 2017 onwards by the due date under section 47 of the said Act shall stand waived to the extent which is in excess of an amount of ten rupees for every day during which such failure continues.

2. This notification shall come into force with effect from the 15th day of November, 2017.


(Radha Raturi)
Principal Secretary

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-8
संख्या /2017/9(120)/XXVII(8)/2017
देहरादून:: दिनांक:: 05 दिसम्बर, 2017
अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;
अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06)
(जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के अधीन प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख
तक अक्टूबर, 2017 से आगे के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में अपनी विवरणी न भर पाने वाले किसी रजिस्ट्रीकृत
व्यक्ति के द्वारा देय विलंब फीस की रकम का अधित्यजन कर सकने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जो ऐसे प्रत्येक
दिन जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, पच्चीस रुपये की रकम से अधिक है ;

परंतु ऐसे विवरणों में देय राज्य कर की कुल रकम शून्य है, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत
तारीख तक माह अक्टूबर, 2017 से आगे उक्त विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति
द्वारा देय विलंब फीस की रकम, ऐसे विस्तार तक जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान विफलता जारी रहती है,
दस रुपये की रकम से अधिक है, अधित्यजन जारी रहेगा ।


2. यह अधिसूचना दिनांक 15 नवम्बर, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

(राधा रतूडी)
प्रमुख सचिव

सं0/020/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तददिनांक ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों,
कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें ।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी
प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त
अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें ।
- 3-विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
- 4-अपर सचिव, वित्त-8, उत्तराखण्ड शासन ।
- 5-एन0आई0सी0
- 6-गार्ड फाईल हेतु ।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव